भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1534

31 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न

1534. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से जून, 2024 तक गोवा राज्य में राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए अपनाई गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वर्षवार कितनी आपूर्ति की गई है तथा गोवा सरकार को इन्हें वितरण हेतु उचित दर दुकान आउटलेट तक पहुंचाने के लिए कमीशन के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ख) वर्ष 2014 से जून, 2024 तक योजना-वार उचित दर दुकानों (एफपीएफ) आउटलेट्स के कमीशन के रूप में गोवा सरकार को संदत की जाने वाली शेष राशि यदि कोई है का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि एफपीएस आउटलेट्स जो दशकों से खाद्य वितरण प्रणाली को समर्थन देने में रीढ़ की हड्डी हैं, प्रति एफपीएस आउटलेट पर दिए जाने वाले राशन कार्ड की कम संख्या के कारण अव्यवहारिक होते जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार ने एफपीएस मालिकों को आय के किसी वैकल्पिक स्त्रोत के लिए मदद करने या एफपीएस इकाई को व्यवहार्य बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को गोवा राज्य में दिसंबर 2015 से लागू किया जा रहा है। प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) देश में कोविड-19 के प्रकोप के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों की वजह से गरीबों और जरूरतमंदों के समक्ष आई कठिनाइयों को दूर करने के विशिष्ट उद्देश्य से शुरू की गई थी।

.....2/-

कोविड संकट के मद्देनजर, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न का आवंटन, नियमित आवंटन के अलावा अतिरिक्त आवंटन था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) पूरे भारत में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की जा रही है, जिसका उद्देशय ग्रामीण आबादी के 75% तक और शहरी आबादी के 50% तक, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति है, की भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। वर्ष 2014 से वर्ष 2024 तक गोवा राज्य सरकार को एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के आवंटन और उठान के साथ-साथ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता" के तहत जारी निधि का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) और (घ): एफपीएस की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से एफपीएस के माध्यम से जन सेवा केंद्र (सीएससी) सेवाएं, बैंकों/ कॉर्पोरेट बैंकिंग कॉरसपोंडेंट्स के साथ टायअप द्वारा बैंकिंग सेवाएं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) की बैंकिंग और नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने, छोटे (5 किलो) एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री तथा अन्य वस्तुओं/ सामान्य स्टोर वस्तुओं की बिक्री आदि जैसी सेवाएं प्रदान करने की पहल करने का आग्रह किया है।

राज्य सरकार भी उचित दर दुकानों के प्रचालन की व्यवहार्यता में सुधार के लिए उचित दर दुकानों पर टीपीडीएस के तहत वितरित खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति देती है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 31 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1534 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2014 से गोवा को एनएफएसए/पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आवंटन और उठान (हजार टन में)							खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को जारी निधियां (करोड़ रुपए में)
वर्ष	एनएफएसए		पीएमजीकेएवाई (कोविड-19 के दौरान शुरू)		कुल		
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	
2014-15	66.880	64.693	-	-	66.880	64.693	0.00
2015-16	64.148	63.175	-	-	64.148	63.175	0.56
2016-17	59.025	59.015	-	-	59.025	59.015	0.00
2017-18	59.003	58.217	-	-	59.003	58.217	2.39
2018-19	59.031	59.034	-	-	59.031	59.034	4.04
2019-20	59.045	58.832	-	-	59.045	58.832	1.81
2020-21	58.173	58.419	20.599	20.599	78.772	79.018	3.15
2021-22	58.521	58.360	29.270	29.270	87.791	87.630	2.66
2022-23	59.045	48.666	23.948	21.703	82.993	70.369	4.69
2023-24	57.971	40.469	-	-	57.971	40.469	5.67
2024-25 (जून '24 तक उठान)	59.045	11.686	-	-	59.045	11.686	0.00
कुल	**659.887**	**580.568**	**73.817**	**71.572**	**733.704**	**652.140**	**24.97**

******